

17.5.19

वकील उभयपक्षा उपर जवाब प्रार्थना
का हेतु समय-पादा पत्रावली वास्ते
जवाब प्रार्थना का दिनांक 30.5.19 को
पेश हो।

30.5.19

आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का
निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 17.6.19 को पेश हो।

17.6.19

वादी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर मूल वाद को
नोटब्रेस। विज्ञा किये जाने बावजूद क्विबेक करने
पर मूल वाद वादी द्वारा नोटब्रेस किये जाने
पर श्वरिज किया जा चुका है। अतः मूल
वाद के श्वरिज होने पर इस पत्रावली का
कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः
पत्रावली इसी स्टेज पर श्वरिज की जाती
है। पत्रावली फैसला सुनार होकर
गम्बर से कम की जाकर लॉन्ग
मूल वाद रहे।

पत्रावली

(मुकेश शेरठ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 1. लाइसेंस का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए
निर्णय है।
इसके अलावा... कांस्टी प्रामुख्य